

अनुदान संख्या 85 - जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 85-DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
------------------------------	--	-----------------

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:					
स्वीकृत-	Voted-					
मूल	Original	1024,00,00		1024,02,00	906,56,24	-117,45,76
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					114,40,41

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	10000.00	
पू.	S.	1.00				
पु.	R.	-10001.00				
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research					
मू.	O.	91200.00		89771.59	89477.73	-293.86
पू.	S.	1.00				
पु.	R.	-1429.41				

(I) 10001.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत नौ मामलों में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.10001.00 lakhs remained wholly unutilised in nine cases under Major Head "2552" - "Other Scientific Research - Assistance to other Scientific Bodies" - under the following heads:-

- (का) “स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)” - 1000.00 लाख रु.;
- (ख) “मानव संसाधन विकास” - 600.00 लाख रु.;
- (गा) “जैव सूचना विज्ञान” - 600.00 लाख रु.;
- (घ) “अनुसंधान और विकास” - 4001.00 लाख रु. (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ङ) “समाज विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी” - 200.00 लाख रु.;
- (चा) “विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम” - 1000.00 लाख रु.;
- (छा) “उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम” - 1100.00 लाख रु.;
- (जा) “जैव प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान” - 500.00 लाख रु.; और
- (झा) “आई एंड एम सेक्टर” - 1000.00 लाख रु.।
- (A) “Autonomous R&D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)” – Rs.1000.00 lakhs;
- (B) “Human Resource Development” – Rs.600.00 lakhs;
- (C) “Bioinformatics” – Rs.600.00 lakhs;
- (D) “Research and Development” – Rs.4001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010);
- (E) “Biotechnology for Societal Development” – Rs.200.00 lakhs;
- (F) “Grand Challenge Programmes” – Rs.1000.00 lakhs;
- (G) “Programme for Promotion of Excellence and Innovation” – Rs.1100.00 lakhs;
- (H) “Grants-in-aid for Biotech Facilities” – Rs.500.00 lakhs; and
- (I) “I & M Sector” – Rs.1000.00 lakhs.

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

- (का) “स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)” - 4347.39 लाख रु. की बचत (28110.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ख) “आई एंड एम सेक्टर - प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर, प्रायोगिक परियोजनाओं, जैव- प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव-

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3425” – “Others – Assistance to other Scientific Bodies” – savings occurred under the following heads:-

- (A) “Autonomous R&D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)” – saving of Rs.4347.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28110.00 lakhs);
- (B) “I&M Sector - Assistance for Technology Incubators, Pilot Projects, Biotechnology Parks

प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता'' - 246.76 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम" - 210.37 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम" - 217.01 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और अनुमोदन न दिए जाने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3573.86 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत मार्च, 2010 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) "मानव संसाधन विकास" - 343.03 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 333.24 लाख रु. था।

(II) "जैव सूचना विज्ञान" - 749.35 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 735.48 लाख रु. था।

(III) "अनुसंधान एवं विकास" - 2481.48 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2300.60 लाख रु. था।

and Biotech Development Fund" – saving of Rs.246.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(C) "Grand Challenge Programmes" – saving of Rs.210.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs); and

(D) "Programme for Promotion of Excellence and Innovation" – saving of Rs.217.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-finalisation of projects and approvals.

2. The above savings were partly (Rs.3573.86 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2010 under Major Head "3425" – "Others – Assistance to other Scientific Bodies" – under the following heads:-

(I) "Human Resource Development" – Rs.343.03 lakhs. Actual excess, however, was Rs.333.24 lakhs.

(II) "Bioinformatics" – Rs.749.35 lakhs. Actual excess, however, was Rs.735.48 lakhs.

(III) "Research and Development" – Rs.2481.48 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2300.60 lakhs.